

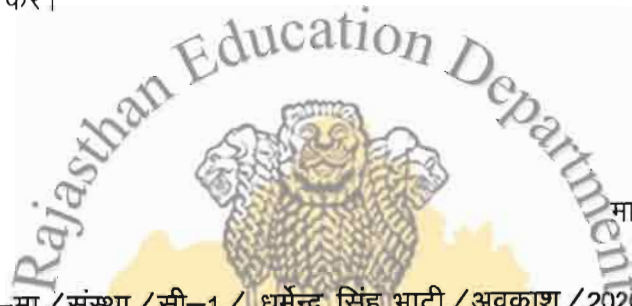
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफडी (रुल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून, 2014, 07.08.2014 एवं 25.10.2019 की अनुपालना में निम्नांकित प्राध्यापक संस्कृत स्कूल शिक्षा, द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत रहते हुए परिवीक्षा काल की अवधि में उनके सामने अंकित अवधि में उपभोग किये गये असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत एतद द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्या. एवं पदस्थापन स्थान (राजमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	अवकाश का प्रकार	अवकाश की अवधि	अवकाश दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह भाटी वर्तमान प्रधानाचार्य राजमावि बेकरिया, कोटड़ा, उदयपुर तत्कालीन व्या. अंग्रेजी, रा उ मा वि. जोबनेर, जयपुर	असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर)	दिनांक 08.10.07 से 26.10.07 दिनांक 12.11.07 से 07.12.07 दिनांक 10.12.07 से 19.12.07 दिनांक 02.01.08 से 11.01.08 दिनांक 16.01.08 से 09.02.08	19 दिवस 26 दिवस 10 दिवस 10 दिवस 25 दिवस कुल 90 दिवस

यदि उपरोक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।



15.12.21

(काना राम)

I.A.S

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/ धर्मेन्द्र सिंह भाटी/अवकाश/2020 दिनांक:- 15/12/2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.5(50) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 16.11.2021 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर/जयपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) जयपुर को कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका मय अवकाश प्रकरण भेजकर लेख है कि 90 दिवस स्वीकृति सेवा पुस्तिका में दर्ज कर 90 दिवस के अलावा शेष अवकाश प्रकरण चैक लिस्ट में तैयार कर पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक,
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली

15

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर